संख्या-12/2019/212/71-1-2019-जी-17/2018टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 जनवरी, 2019

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लिए एम्बुलेन्स क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/401, दिनॉक 01-10-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु एम्बुलेन्स के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में एम्बुलेन्स/क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स का क्रय हेतु मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 4,62,00,000/- (रू0 चार करोड़ बासठ लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 11,20,607/- (रू0 ग्यारह लाख बीस हजार छः सौ सात मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मोटर गाड़ी के क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- एम्बुलेन्स का क्रय वर्तमान में लागू डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के जेम पोर्टल द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनॉक 22.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-73-राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थान में एम्बुलेन्स/क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स का क्रय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2513/दस-2018, दिनॉक 14 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/2019/212(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।